

ग्रामिका, उत्तर प्रदेश, जिला उत्तर प्रदेश, जिला उत्तर प्रदेश व जिला उत्तर प्रदेश
 में मुंबई, सिविल एंजियरिंग में भूमि विभाग एवं नगर विकास विभाग के 12
 उत्तर प्रदेश शासन के जिला प्रशासन विभाग सं: 202/मुंअ/11-7021-0-01
 दिनांक 25.11.84 के आदेश पार-92 को उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 20.12.80
 के भाग: 8 के पृष्ठ सं: 467 पर, भाग: 1 के अंश सं: 4440/07-2-49
 एकांक/03 दिनांक 31.1.85 अर्थात् पार: 17 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के
 अन्वये विभाग, जिला उत्तर प्रदेश में 12.11.84 अर्थात्

अन्य दिनांक 18.9.84 को 3020 अर्थात् एंजियरिंग विभाग, 104 महत्वा
 नहीं मानी, लाल के प्राधान्य को रद्द करके, लाल अर्थात् 3020 अर्थात्
 अर्थात् एवं लाल अर्थात्, जिला प्रशासन को रद्द करके लाल मानी।

ग्राम	जमीन संख्या	संख्या	अन्य विवरण
उपरोक्त	57	0-5-10-10	लाल 50 का अर्थात् नहीं लाल अर्थात् है। पूर्व विवरण संलग्न है।
	62	1-2-0-0-00	

₹0/-

योग: 1-7-18-10 अर्थात् 0.872 एकर

उपरोक्त भूमि का जमा अंश दिनांक 18.9.84 को 3020 अर्थात् एवं
 विकास परिषद के प्राधान्य लाल अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् एवं विकास परिषद मुंबई को रद्द करके लाल मानी।

₹0/-

देवेन्द्र कुमार
 जमीन
 कार्यालय: जिला प्रशासन
 जिला प्रशासन
 3020 अर्थात् एवं विकास परिषद,
 मुंबई


उपरोक्त भूमि का जमा अंश दिनांक 18.9.84 को उत्तर प्रदेश, 104
 महत्वा नहीं मानी, लाल को जोर से प्राधान्य मानी।

₹0/-

राम राम सिंह
 लाल अर्थात् अर्थात्
 3020 अर्थात् एवं विकास परिषद,
 जिला प्रशासन

17
 न सिद्ध
 न न सिद्ध परिषद
 10-33 मुंबई

नोट:- उपरोक्त भूमि नर अर्थात् मुंबई जिला को लाल के अर्थात् भूमि के
 लाल एवं लाल लाल अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात्

Attest/col


परिषद पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम टाण्डा परगना व तहसील बुलन्दशहर में 3070 आवास एवं विकास परिषद बुलन्दशहर में अनुपशहर, शिवापुर मार्ग को विकसित सं: 202 गु0अ0/2 78280-81 दिनांक 25.11.80 अन्तर्गत धारा-32 जो 3070 गजट दिनांक 20.12.80 के भाग:8 के पृष्ठ संख्या 468 पर प्रकाशित हुई। तथा विकसित सं: 446/37-2-79 एवं बी/80 दिनांक 31.8.81 के अन्तर्गत धारा:17 भूमि अधिनियम के अनुसार अर्जित भूमि का कब्जा इस प्रकार सम्पत्ति, कृषि निर्माण आदि का विवरण निम्न प्रकार है।

आज दिनांक 2.7.82 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को वजहिये श्री पी0सी0 भट, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद पिनो-10 तेजगढ़ी मेरठ को हस्तान्तरित किया गया।

ग्राम	धारा नं०	वेअफल की दिनांक	अन्य विवरण
टाण्डा	58	0-17-0	
"	59	0-18-0	
"	60	1-0-0	शहदुता का एक पेड़
"	61	1-3-0	
"	101	0-3-0	
"	104	0-2-0	
"	105	0-13-0	
"	106	0-7-0	
"	112	0-19-0	
"	113	0-17-0	
"	114	0-13-0	
"	115	0-12-0	
"	116	0-14-0	
"	117	0-14-0	दिनांक 25.11.80, 25.11.80
"	118	0-7-0	
"	119	0-11-0	
"	120	0-8-0	
"	140	0-8-0	
"	142	0-11-0	
"	143	0-12-0	
"	144	0-13-0	
"	145	0-7-0	
"	146	0-19-0	
"	147	0-14-0	
"	148	0-18-0	
"	149	0-11-0	
"	150	1-0-0	
"	151	1-1-0	

318
 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ
 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

Attested
 [Signature]

शहदुता का एक पेड़

152	1-2-0	
153	0-8-0	
154	0-10-0	
155	1-16-0	
156	0-18-0	
157	1-17-0	
158	0-2-0	
159	2-0-0	एक पेड़
160	1-14-0	
161	2-10-0	
162	1-2-0	2 जामुन, 2 शहतूत, 2 आमरूद
163	0-19-0	
164	0-1-0	
165	1-0-0	एक बेल पत्थर, चार शहतूत एक पपीता 30 पेड़
166	1-6-0	रु नीम, 2 आम
167	2-15-0	2 पेड़ शीशम
168	2-18-0	चार आम
174	2-13-0	तीन शहतूत 1 आमरूद
175	0-17-0	
179	3-1-16	
180	1-0-0	सुसरा नः 56, 57, व 62 का निर्णय देने पर कब्जा दिया जायेगा।
181	0-19-0	
182	0-13-0	
183	0-4-0	
186	0-12-0	
187	0-19-0	
189	1-7-0	

कुल लिपिक
सहायक विकास अधिकारी
डि०-33 सुपारवाहा

योग: 53-15-16 33,6187 एकड़
उपरोक्त भूमि व सम्पत्ति का कब्जा आज दिनांक 21.7.82 को 30 प्रो आवास एवं विकास परिषद के जरिये अधिजाती अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद विभागीय इकाई, 10, तेजगढ़ी को हस्तान्तरित किया गया।
नोट:- मौजूदा फसल के फसल के पकने पर उठा लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। बाद में कोई फसल नहीं बोयेगा।

नाम: विवेक भूमि अधिष्ठा अधिकारी
पद: 14 डी शशिनी नगर, मेरठा

उपरोक्त भूमि व सम्पत्ति का कब्जा 30 प्रो आवास एवं विकास परिषद की ओर आज दिनांक को प्राप्त किया।

हो/=
कुमार शर्मा
अधीन

Attest
अधिका
अधीन

हो/=
सहायक अभियन्ता